झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– रांची, दिनांक –

प्रेषक,

ई0 मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड
पो० हिनू, राँची।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2016 –17 में समय–समय पर आयोजित बैठक सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशाप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यों हेतु ₹50,00,000/- (पचास लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2016 –17 में एक निश्चित अंतराल पर प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों/संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पान्सरशिप के लिये राशि का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही, जल संसाधन परियोजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने, रूपांकण, निर्माण, संपोषण, अनुश्रवण एवं निर्मित योजनाओं का इभेल्यूएशन कार्य में बी0 आई0 एस0 कोड तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकाशनों की पुस्तकों का उपयोग करने हेतु विभिन्न मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्र के लिये इनकी खरीद एवं संधारण हेतु आलमीरा का क्रय करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन अंचल एवं प्रमण्डल कार्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करने हेतु टेबल, कुर्सी, पंखा, एयर कण्डिसनिंग उपस्करों इत्यादि का क्रय करने की भी व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त सी0 पी0 एम0, पर्ट, जल विज्ञान, जलीय संरचनाओं का रूपांकण, वेब आधारित जलावंटन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि से संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (STADD.PRO, Auto CAD) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण,

विस्तृत परियोजना तैयार करने, झारखंड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन तथा राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करने की भी आवश्यकता है। उपरोक्त कार्य हेतु जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–1 पर अंकित है, के लिए ₹50.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष –4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष–69–प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में भारित होगा।

3. (क) जिस क्षेत्र के लिए राशि की निकासी होगी उसी क्षेत्र के मुख्य अभियंता, नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(ख) इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, राँची/जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग/तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट/जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर/ जलपथ प्रमंडल, गढ़वा/ सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह/ सिंचाई प्रमंडल, देवघर/खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर/समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं0–2, राँची/पुनासी बाँध प्रमण्डल, पुनासी/ लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/ लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग/ लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका, शिविर – देवघर/ उप–निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, राँची/उप–निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण (सिंचाई) प्रमण्डल, राँची होंगे। राशि की निकासी संबंधित क्षेत्र के कोषागार से होगी।

4. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5. वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में ₹50.00 (पचास) लाख का बजट उपबंध है।

6. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

7. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

अनु0 : परिशिष्ट–I

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

D:\Rajendra Prasad\R.M. Office\Official\Admn. Approval\F.Y. 2016-17\Admn. Approval.doc

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/आवंटन–45/2008 (P-I) – रांची, दिनांक –

प्रतिलिपि : आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : परिशिष्ट–I

ह0/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/आवंटन–45/2008 (P-I) – रांची, दिनांक –

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी/उप–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/गढ़वा/देवघर/राँची/जमशेदपुर/हजारीबाग/उप–कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला/तेनुघाट, झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : परिशिष्ट–I

ह0/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/आवंटन–45/2008 (P-I) – रांची, दिनांक –

प्रतिलिपि :

प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड/विशेष सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, धुर्वा, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई,दुमका/मुख्य अभियंता, राँची / देवघर / मेदिनीनगर / ईचा–गालूडीह /चांडिल / हजारीबाग /अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/जलपथ अंचल,जमशेदपुर/सिंचाई अंचल जसीडीह, शिविर– देवघर/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, देवघर /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, राँची/जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग/जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगगर/ जलपथ प्रमंडल, गढ़वा/ सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/सिंचाई प्रमंडल, देवघर/समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं०–2, राँची/पुनासी बाँध प्रमण्डल, पुनासी/तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट/खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर/ लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची/ लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग/ लघु सिंचाई रूपांकण प्रमण्डल, दुमका, शिविर–देवघर/उप–निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, राँची/ उप–निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण (सिंचाई) प्रमंडल, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : परिशिष्ट–I

ह0/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

D:\Rajendra Prasad\R.P.I. Office\Official\Admin. Approval\F.Y.-2016-17\Admin. Approval.doc

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/आवंटन–45/2008 (P-I) – रांची, दिनांक –
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/संथालपरगना प्रमंडल, दूमका एवं पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0 : परिशिष्ट–I

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/आवंटन–45/2008 (P-I) – रांची, दिनांक –
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0 : परिशिष्ट–I

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/आवंटन–45/2008 (P-I) – 08/16-17 प्र.स्वी. रांची, दिनांक – 20.04.2016
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय website पर upload करने हेतु प्रेषित।

अनु0 : परिशिष्ट–I

[signature] 20/4/16
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)
[signature] 20/04/16

D:\Rajendra Prasad\RJM_Office\Official\Admn. Approval\F.Y.-2016-17\Admn. Approval.doc

पत्रांक 08/16-17 प्र. स्वी. दिनांक 20.04.2016 परिशिष्ट – I

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्टीय स्तर पर प्रस्तावित बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप, प्रशिक्षणों एवं अन्य संबंधित कार्यों का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :

I जल संसाधन के समेकित विकास एवं प्रबंधन, इत्यादि पर सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण का आयोजन:

जल संसाधन के समेकित विकास एवं प्रबंधन विषय पर राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा समय–समय पर सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण आयोजित कर विभागीय अभियंताओं को इस क्षेत्र में हुए विकास से अवगत कराने के साथ–साथ इनके तकनीकी क्षमता का विकास करना है।

II विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट संस्थानों द्वारा आयोजित वर्कशॉप/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु निबंधन शुल्क के साथ–साथ सरकारी एवं गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों/संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पान्सरशिप के लिये राशि का प्रावधान :

राज्य, राज्य से बाहर एवं विदेशों में विशिष्ट संस्थानों द्वारा सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निबंधन शुल्क लिया जाता है। विभागीय अभियंताओं/पदाधिकारियों को इन गतिविधियों में उनके तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों/संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पान्सरशिप के लिये राशि का भी प्रावधान किया गया है।

III जल संसाधन विभाग द्वारा बैठक का आयोजन

विभाग द्वारा दामोदर घाटी जलाशय संचालन समिति, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण एवं अन्य संस्थाओं के साथ जल संसाधन के विकास, इसके प्रभावकारी उपयोग एवं जल बंटवारा से जुड़े मुद्दों पर समय–समय पर बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों में राज्य, राज्य से बाहर एवं विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है।

IV जल संसाधन विभाग द्वारा व्यवसायिक परीक्षा का आयोजन

जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभियंताओं की दक्षता, कार्यप्रणाली एवं उनके कार्य करने की योग्यता का आकलन करने हेतु प्रत्येक वर्ष विभागीय स्तर पर दो बार व्यवसायिक एवं विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

V बी0 आई0 एस0 कोड तथा तकनीकी पुस्तकों की खरीद

जल संसाधन के विकास एवं नदी घाटी योजनाओं पर आधारित बी0 आई0 एस0 कोड की सॉफ्ट कॉपी तथा इसके अद्यतन संस्करण की खरीद, सी0 बी0 आई0 पी0, तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित जल संसाधन क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन तथा वन एवं पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी पुस्तकों की खरीद एवं संधारण।

VI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की खरीद

जल विज्ञान, GIS, CPM & PERT, जल संसाधन संरचनाओं का रूपांकण, चित्रांकण, वेब आधारित जलावंटन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि से संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (STADD.PRO. Auto CAD) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण, विस्तृत परियोजना तैयार करने, झारखंड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन एवं उसके अंतर्गत पड़ने वाली जल संसाधन परियोजनाओं का टोपोशीट के सॉफ्ट कॉपी पर इन परियोजनाओं का स्थल, कैचमेंट तथा कमाण्ड एरिया को चिन्हित कर राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करना, जल संसाधन योजनाओं के निर्माण, सम्पोषण, अनुश्रवण एवं निर्मित योजनाओं के मुल्यांकण में उपयोग किया जाना है। उपरोकत वर्णित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के उद्देश्य से इसके खरीद, Installation एवं रख–रखाव (AMC) करने की, उपयोग करने की योजना है।

20/4/16

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग, राँची।

20/04/16

D:\Rajendra Prasad\R.P.\Office\Official Admin. Approval\A.A 2016-17 Admin. Approval.doc